



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 अग्रहायण 1939 (श10)
(सं० पटना 1207) पटना, वृहस्पतिवार, 21 दिसम्बर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

21 दिसम्बर 2017

एस०ओ० 308, दिनांक 21 दिसम्बर 2017—बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर नियमावली 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं यथा:—

- (1) यह नियमावली बिहार माल और सेवा कर (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी
(2) ये दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।
- बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में, -
 - प्ररूप जीएसटीआर-1 में, सारणी-6 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“6. शून्य दर पूर्तियाँ और समझे गए निर्यात

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे			शिपिंग बिल/निर्यात का बिल		एकीकृत कर			केंद्रीय कर			राज्यकर/संघ राज्यक्षेत्र कर			उपकर
	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	सं.	तारीख	दर	कराधेय मूल्य	रकम	दर	कराधेय मूल्य	रकम	दर	कराधेय मूल्य	रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6क. निर्यात															
6ख. विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को की गई पूर्तियाँ															
6ग. समझे गए निर्यात															
															”;

(ii) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01, -

(क) सारणी 7 में, खंड (ज) में, “समझे गए निर्यात का प्राप्तिकर्ता” शब्दों के स्थान पर “समझी गई निर्यात पूर्तियों का प्राप्तिकर्ता/समझी गई निर्यात पूर्तियों का पूर्तिकर्ता” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) विवरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित विवरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“विवरण 1क [नियम 89(2)(ज)]

प्रतिदाय किस्म : विपर्यस्त कर ढांचे के कारण संचित आईटीसी [धारा 54(3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

क्रम सं.	प्राप्त पूर्तियों के आवक बीजकों के ब्यौरे			आवक पूर्तियों पर संदत्त कर			जारी जावक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे			जावक पूर्तियों पर संदत्त कर		
	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												”;

(ग) विवरण 5क के पश्चात् निम्नलिखित विवरण अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :--

“विवरण 5ख [नियम 89(2)(छ)]

प्रतिदाय किस्म : समझे गए निर्यातों के लेखे

(रकम रुपए में)

क्रम सं.	पूर्तिकार द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में जावक पूर्तियों के बीजकों के व्यौरे/प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय की दशा में जावक पूर्तियों के बीजकों के व्यौरे			संदत्त कर			
	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8
							;

(घ) घोषणा [नियम 89(2)(छ)] के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“घोषणा [नियम 89(2)(छ)]

(समझे गए निर्यात के प्राप्तिकर्ता/पूर्तिकार के लिए)

प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में ☐
 मैं, घोषणा करता हूँ कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है, जिनके व्यौरे विवरण 5ख में उस कर अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है और रकम उक्त कर अवधि के लिए फाइल की गई वैध विवरणी में लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं है। मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि पूर्तिकार ने उक्त पूर्तियों के संबंध में प्रतिदाय का दावा नहीं किया है।
 पूर्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में ☐
 मैं, घोषणा करता हूँ कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है, जिनके व्यौरे विवरण 5ख में उस कर अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है। मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि प्राप्तिकर्ता उक्त पूर्तियों के संबंध में किसी प्रतिदाय का दावा नहीं करेगा और प्राप्तिकर्ता ने ऐसी पूर्तियों पर किसी इनपुट कर प्रत्यय भी नहीं लिया है।

हस्ताक्षर

नाम -

पदनाम / प्रास्थिति”;

वचनबंध

मैं एतद् द्वारा, वचन देता हूँ कि यदि बाद में यह पाया जाता है कि रिफण्ड की गई राशि के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम / एससीजीएसटी अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (2) के उपवाक्य (ग) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाएँ पूरी नहीं हुई हैं तो मैं स्वीकृत रिफण्ड की राशि तथा साथ में उस पर लगने वाले ब्याज को लौटा दूँगा।

हस्ताक्षर

नाम--

पदनाम / प्रास्थिति”;

(iii) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01क में,-

(क) सारणी 7 में, खंड (छ) में, “समझे गए निर्यात का प्रासिकर्ता” शब्दों के स्थान पर “समझे गए निर्यात का प्रासिकर्ता/समझे गए निर्यात का पूर्तिकर्ता” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) घोषणा : [नियम 89(2)(च)] के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“घोषणा [नियम 89(2)(छ)]

(समझे गए निर्यात का प्रातिकर्ता/पूर्तिकर्ता)

प्रासिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में ☐

मैं, घोषणा करता हूँ कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है, जिनके ब्यौरे विवरण 5ख में उस कर अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है और रकम उक्त कर अवधि के लिए फाइल की गई वैध विवरणी में लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं है। मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि पूर्तिकर्ता ने उक्त पूर्तियों के संबंध में प्रतिदाय का दावा नहीं किया है।

पूर्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में ☐

मैं, घोषणा करता हूँ कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है, जिनके ब्यौरे विवरण 5ख में उस कर अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है। मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि प्रासिकर्ता उक्त पूर्तियों के संबंध में किसी प्रतिदाय का दावा नहीं करेगा और प्रासिकर्ता ने ऐसी पूर्तियों पर किसी इनपुट कर प्रत्यय भी नहीं लिया है।

हस्ताक्षर

नाम -

पदनाम / प्रास्थिति,

वचनबंध

मैं एतद् द्वारा, वचन देता हूँ कि यदि बाद में यह पाया जाता है कि रिफण्ड की गई राशि के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम / एससीजीएसटी अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (2) के उपवाक्य (ग) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाएँ पूरी नहीं हुई है तो मैं स्वीकृत रिफण्ड की राशि तथा साथ में उस पर लगने वाले ब्याज को लौटा दूँगा।

हस्ताक्षर

नाम--

पदनाम / प्रास्थिति,

(ग) विवरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित विवरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“विवरण 1क [नियम 89(2)(ज)]

प्रतिदाय किस्म : विपर्यस्त कर ढांचे के कारण संचित आईटीसी [धारा 54(3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

क्रम सं.	प्राप्त पूर्तियों के आवक बीजकों के ब्यौरे			आवक पूर्तियों पर संदत्त कर			जारी जावक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे			जावक पूर्तियों पर संदत्त कर		
	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												”;

(घ) विवरण 5क के पश्चात् निम्नलिखित विवरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“विवरण 5ख [नियम 89(2)(छ)]

प्रतिदाय किस्म : समझे गए निर्यातों के लेखे

(रकम रुपए में)

क्रम सं.	पूर्तिकार द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में जावक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे/प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में आवक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे			संदत्त कर			
	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8
							”;

[(सं०सं०-विक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-I)-4589)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

21 दिसम्बर 2017

एस०ओ० 309, एस०ओ० 308, दिनांक 21 दिसम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-विक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-I)-4589)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 21st December 2017

S.O. 308, dated the 21st December 2017— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

- (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Eleventh Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force with effect from 21st December, 2017.
2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, -

“6. Zero rated supplies and Deemed Exports

6B. Supplies made to SEZ unit or SEZ Developer

6C. Deemed exports

(a) in Table 7, in clause (h), for the words “Recipient of deemed export”, the words “Recipient of deemed export supplies/ Supplier of deemed export supplies” shall be substituted;

“Statement 1A [rule 89(2)(h)]

[illegible]

(c) after Statement 5A, the following Statement shall be inserted, namely:-

“Statement 5B [rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports

(Amount in Rs)

Sl. No.	Details of invoices of outward supplies in case refund is claimed by supplier/Details of invoices of inward supplies in case refund is claimed by recipient			Tax paid			
	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State Tax /Union Territory Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8
							;

(d) for the **DECLARATION [rule 89(2)(g)]**, the following shall be substituted, namely:-

“DECLARATION [rule 89(2)(g)]

(For recipient/supplier of deemed export)

In case refund claimed by recipient ☐

I hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the tax period for which refund is being claimed and the amount does not exceed the amount of input tax credit availed in the valid return filed for the said tax period. I also declare that the supplier has not claimed refund with respect to the said supplies.

In case refund claimed by supplier ☐

I hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the tax period for which refund is being claimed. I also declare that the recipient shall not claim any refund with respect of the said supplies and also, the recipient has not availed any input tax credit on such supplies.

Signature

Name –

Designation / Status

UNDERTAKING

I hereby undertake to pay back to the Government the amount of refund sanctioned along with interest in case it is found subsequently that the requirements of clause (c) of sub-section (2) of section 16 read with sub-section (2) of section 42 of the CGST/SGST Act have not been complied with in respect of the amount refunded.

Signature

Name –

Designation / Status”;

- “DECLARATION [rule 89(2)(g)]**

In case refund claimed by recipient ☐

In case refund claimed by supplier ☐

Signature

Designation / Status

I hereby undertake to pay back to the Government the amount of refund sanctioned along with interest in case it is found subsequently that the requirements of clause (c) of sub-section (2) of section 16 read with sub-section (2) of section 42 of the CGST/SGST Act have not been complied with in respect of the amount refunded.

Signature

Name –

Designation / Status”;

- (c) after Statement 1, the following Statement shall be inserted, namely:-

“Statement 1A [rule 89(2)(h)]

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

[illegible]

(d) after Statement 5A, the following Statement shall be inserted, namely:-

“Statement 5B [rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports

(Amount in Rs)

Sl. No.	Details of invoices of outward supplies in case refund is claimed by supplier/ Details of invoices of inward supplies in case refund is claimed by recipient			Tax paid			
	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State Tax /Union Territory Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8
							”.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017(Part-1)-4589)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

बिहार गजट (असाधारण) 1207-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>